



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 19

6 ज्येष्ठ 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —
27 मई 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

17 अप्रैल 2020

सं० भा०व०से० (स्था०) 12/2019-1686/प०व०—डॉ० के० गणेश कुमार, भा०व०से० (BH, 06) जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के उपरांत दिनांक-24.02.2020 (पूर्वाहन) को अपने राज्य संवर्ग में योगदान देने के पश्चात् सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-13A, रू० 131,100-216,600) में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 अप्रैल 2020

सं० कौन/भी-13/2017-99/सी०—वाहन संख्या- JH02R-9647, जिसपर सरसों तेल लदा था एवं जिसका परिवहन ए० के० ट्रेडर्स, नई मंडी, भरतपुर (राजस्थान) से मगध ट्रेडिंग गोला रोड, नवादा, बिहार के लिये किया जा रहा था, को मोहनियाँ पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक-21.02.2017 को करीब 10:15 बजे NH-30 मोड़ के पास रोका गया।

चालक से पूछ-ताछ के क्रम में यह पाया गया कि चालक के पास माल से संबंधित वैट इन्वायस एवं ट्रान्सपोर्टेशन बिल्टी है, परन्तु समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा द्वारा अनुमोदित कोई कागजात नहीं है। तत्पश्चात् मोहनियाँ पुलिस द्वारा उक्त वाहन को थाना लाया गया एवं समय 11:00 बजे पूर्वाहन अंकित करते हुए सनहा सं०-533 दिनांक-21.02.2017 दर्ज किया गया।

मोहनियाँ पुलिस द्वारा उक्त वाहन को मोहनियाँ थाना परिसर में रखे जाने की सूचना वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय, कैमूर (भभुआ) को प्रेषित करते हुए वाहन के विरुद्ध शमन/आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध पत्रांक-980/17 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा किया गया।

वाणिज्य कर उपायुक्त, भभुआ अंचल, भभुआ द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश सं०-01/ 2016-17 दिनांक-20.08.2016 के अनुसार वाहन/प्रतिष्ठान निरीक्षण संबंधित धारा-61(3), 56(4) के अभिलेख से संबंधित कार्य श्री आकाश कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना को आवंटित था।

उक्त आदेश के अनुसार मोहनियाँ पुलिस द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए श्री आकाश कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल द्वारा कार्यालय के पत्रांक 2102 दिनांक-22.02.2017 के माध्यम से मोहनियाँ थाना को यह सूचित किया गया कि "माल के वैध परिवहन हेतु सुविधा सं०-1013214060350217 समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा से अनुमोदित है। अतः इस पर प्रथम दृष्टया बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अंतर्गत कर अपवचना की कोई मंशा प्रतीत नहीं होती है।"

यद्यपि प्रसंगाधीन मामले में माल से संबंधित इनकमिंग सुविधा प्रपत्र D-IX का सृजन दिनांक-21.02.2017 को करीब 11:06:26 बजे किया गया एवं उक्त सुविधा प्रपत्र D-IX को दिनांक 22.02.2017 को 10:03:10 बजे श्री ज्ञानी दास, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा के Login Id से Approve किया गया था।

उक्त वाहन के जांच चौकी पर गये बगैर इसके परिवहन हेतु वांछनीय अनुज्ञा पत्र D-IX का समेकित जांच चौकी, कर्मनाशा द्वारा अनुमोदित (Approved) किया जाना एवं अनुज्ञा पत्र D-IX के अभाव में वाहन को रोके जाने तथा थाना परिसर में वाहन लगे होने की सूचना के बावजूद शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई नहीं होने के आरोप में जिला पदाधिकारी, भभुआ द्वारा प्रेषित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी, जिसमें श्री ज्ञानी दास, वाणिज्य-कर पदाधिकारी एवं श्री आकाश कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी को दोषी पाया गया। तत्पश्चात् श्री ज्ञानी दास, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाशा सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा एवं श्री आकाश कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री दास एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री आकाश कुमार के मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है:-

“श्री कुमार द्वारा प्रेषित उक्त वाहन के संबंध में निर्गत पत्र जो मोहनियाँ थाना को प्रेषित है विहित रूप से विमुक्ति आदेश नहीं है किन्तु स्पष्ट है कि मोहनियाँ थाना द्वारा उक्त वाहन को जब जाँच हेतु रोका गया था तो चालक के पास वैध सुविधा DIX का अभाव था अर्थात् थाना के द्वारा जाँच के समय DIX का अभाव पाया गया जिसके कारण ही मोहनियाँ थाना द्वारा पत्र के माध्यम से विहित कार्रवाई करने की सूचना दी गई।

इस प्रकार श्री कुमार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 2102 दिनांक 22.02.2017 विहित रूप से विहित प्रपत्र में भले ही विमुक्ति आदेश न हो किन्तु, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मूल पत्र (मोहनियाँ थाने द्वारा निर्गत पत्र) के आधार पर ही महत्वपूर्ण मामले में एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी से अपेक्षित कार्यवाही की आशा की जाती है।

अतः आरोपित पदाधिकारी श्री आकाश कुमार तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ के विरुद्ध कर्तव्य-निष्ठा नहीं बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव इस पर समुचित विचार यथा इनके पूर्व का अनुभव एवं राजपत्रित पदाधिकारी पद पर कार्य करने का पहला अवसर होने को ध्यान में रखते हुए दण्ड के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है।”

संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से आवेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन/निवेदन को सम्यक् समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के प्रावधानानुसार श्री आकाश कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना को अगली देय वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, अपर सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 मई 2020

सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि०-2782—यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या 7829 दिनांक 23.10.2019-सहपठित-विभागीय अधिसूचना संख्या 8932 दिनांक 04.12.2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक 23.10.2019 से अगले छः माह के लिये शमन की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 2914 दिनांक 15.04.2020 द्वारा अगले छः माह तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 2914 दिनांक 15.04.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 23.04.2020 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की शमन की उपर्युक्त धाराओं के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

13 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-08/2015-461948-श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी नावकोठी, बेगुसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, गोराडीह में द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन, 2008 में कतिपय अनियमितता एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों, अनाधिकृत अनुपस्थिति आदि के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक- 44/प० दिनांक 26.08.2015 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 329405 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोप की कंडिका- 01 एवं 02 में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण पर प्रतिकूल मंतव्य प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18(3) के आलोक में श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

श्री निरंजन कुमार के विरूद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी के अभिमत एवं श्री कुमार, के लिखित अभ्यावेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावकोठी, बेगुसराय के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनपर संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

29 अप्रैल 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) (पटना-10/2018-461431--श्री विभेष आनंद, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा, पटना के विरूद्ध मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, जीविका के पत्रांक- BRLPS-LSBA/Admn/16/18/337 दिनांक 23.07.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 382624 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा श्री आनंद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्रखंड कार्यालय, बिहटा के पत्रांक 2980 दिनांक 28.9.2019 के द्वारा श्री आनंद द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

मिशन निदेशक, जीविका से प्राप्त प्रतिवेदन पर श्री आनंद का स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर प्रशासी पदाधिकारी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री आनंद के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में शिथिलता बरती गयी है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत उनके उपर एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

अधिरोपित दंड की प्रविष्टि उनके चारित्री में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

14 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (नि०को०) ट्रेप-03/2020-461973--श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक 31.12.2019 को परिवादी श्री पुरुषोत्तम कुमार से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2) (क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

(2) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2020 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

(3) अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3) (i) के आलोक में श्री कुमार को निलंबनमुक्त करते हुए दिनांक 04.03.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

(4) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

14 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (नि०को०) ट्रेप-03/2020-461983--श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक 31.12.2019 को परिवादी श्री पुरुषोत्तम कुमार से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2) (क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

(2) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2020 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-461973 दिनांक 14.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3) (i) के आलोक में श्री कुमार को निलंबनमुक्त करते हुए दिनांक 04.03.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

(3) चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा इन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया जिसके लिए इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 054/2019 दर्ज है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (ग) के आलोक में योगदान की तिथि 04.03.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

(4) निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(5) निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, पटना सदर निर्धारित किया जाता है।

(6) निलंबनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

13 अप्रैल 2020

1. अधिसूचना संख्या—6/अ0प्र0-1-02/2020-78—श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, (गृह जिला—पटना), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बाँका-2 अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, भागलपुर के प्रभार में भी रहेंगे।

2. अधिसूचना संख्या— 6/ अ0प्र0-1-02/2020-79—श्री राम कुमार पोद्दार, (गृह जिला—सहरसा), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा के प्रभार में भी रहेंगे।

3. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-80—श्री प्रमेन्द्र नाथ, (गृह जिला—छपरा), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, विक्रमगंज अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सासाराम के प्रभार में भी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, सचिव।

13 अप्रैल 2020

1. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-82—श्री मनोज कुमार, (गृह जिला—पुर्णियाँ), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हथुआ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—सिवान-1 के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सिवान-2 के प्रभार में भी रहेंगे।

2. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-83—श्री अरुण कुमार, (गृह जिला—समस्तीपुर), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, हथुआ के प्रभार में भी रहेंगे।

3. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-84—मो0 सुहैल, (गृह जिला—सिवान), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—फुलपरास के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

4. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-85—श्री रामरतन राम, (गृह जिला—मधुबनी), तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—शेखपुरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

5. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-86—श्री रामेश्वर चौधरी, (गृह जिला—भोजपुर), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पालीगंज को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—बलिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

6. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-87—श्री अर्जुन प्रसाद, (गृह जिला—पटना), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बलिया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—वीरपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज के प्रभार में भी रहेंगे।

7. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-88—श्री शत्रुघ्न प्रसाद, (गृह जिला—पटना), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—अरवल के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

8. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-89—श्री रविन्द्र कुमार सिंह, (गृह जिला—भोजपुर), तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—पालीगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

9. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-90—श्री सुरेश प्रसाद सिंह, (गृह जिला—पूर्वी चम्पारण), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज को स्थानान्तरित करते हुए तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल—सहरसा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

10. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-91—श्री देवनाथ प्रसाद, (गृह जिला—बक्सर), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बाढ़ अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय के प्रभार में भी रहेंगे।

11. अधिसूचना संख्या— 6/अ0प्र0-1-02/2020-92—श्री आलोक कुमार, (गृह जिला—खगड़िया), तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण एवं

मूल्यांकन, मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, सचिव।

13 अप्रैल 2020

1. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-94—श्री रामू प्रसाद, (गृह जिला-पटना), सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, गौड़ाबौराम को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-पोठिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-95—मो0 जीमल अबुल हसन, (गृह जिला-गया), सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, किशनगंज-1, कार्य अवर प्रमण्डल, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-कुदरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

3. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1- अ0प्र0-1-02/2020-96—श्री सुनील दत्त, (गृह जिला-बेगूसराय), सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-मंझौलिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

4. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-97—श्री रविकान्त, (गृह जिला-पटना), सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तारापुर-खड़गपुर, कार्य अवर प्रमण्डल-तारापुर-खड़गपुर को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-भगवानपुर, कार्य प्रमण्डल-हाजीपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

5. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1- अ0प्र0-1-02/2020-98—श्री सीताराम सहनी, (गृह जिला-वैशाली), सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया, कार्य अवर प्रमण्डल, चकिया अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमण्डल, मेहषी के प्रभार में भी रहेंगे।

6. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-99—श्री श्रीनिवास चौधरी, (गृह जिला-रोहतास), सहायक अभियंता (संविदा) प्रकलन पदाधिकारी, कार्य प्रमण्डल-पटना को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-रामगढ़, कार्य प्रमण्डल-मोहनिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमण्डल, दुर्गावती, कार्य प्रमण्डल-मोहनिया के प्रभार में भी रहेंगे।

7. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-100—श्री चन्द्रमाधव सिंह, (गृह जिला-मुजफ्फरपुर), सहायक अभियंता (संविदा), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कल्याणपुर, कार्य प्रमण्डल-चकिया को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-जयनगर, कार्य प्रमण्डल-जयनगर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

8. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-101—श्री मृत्युंजय कुमार गिरि, (गृह जिला-सारण), सहायक अभियंता (संविदा), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, डिहरी, कार्य प्रमण्डल-डिहरी को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल-बसंतपुर, कार्य प्रमण्डल-महराजगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

9. अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-1-02/2020-102—श्री प्रभु नारायण राय, (गृह जिला-कैमूर), सहायक अभियंता (संविदा), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, चेनारी, कार्य प्रमण्डल, सासाराम-1 अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमण्डल, शिवसागर, कार्य प्रमण्डल-सासाराम-1 के प्रभार में भी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 07-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ग्रामीण कार्य विभाग

शुद्धि पत्र

27 अप्रैल 2020

सं० 06/अ०प्र०-01-02/2020-1997—विभागीय अधिसूचना संख्या-90 सहपठित ज्ञापांक 93 दिनांक 13.04.2020 पर अंकित श्री सुरेश प्रसाद सिंह के स्थान पर श्री सुरेश कुमार सिंह पढ़ा जाय।
शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, सचिव।

शुद्धि पत्र

27 अप्रैल 2020

सं० 06/अ०प्र०-01-02/2020-1998—विभागीय अधिसूचना संख्या-95 सहपठित ज्ञापांक 103 दिनांक 13.04.2020 पर अंकित मो० जीमल अबुल हसन के स्थान पर मो० जमील अबुल हसन पढ़ा जाय।
शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 07-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>